राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दांडिक विविध तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1533/2016
सतवीर सिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान

दिनांक – 30.1.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री बीरीसिंह सिनसिनवार, वरिष्ठ अधिवक्ता
मय श्री टी.आर. मीना, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
MS मीनाक्षी पारीक, लोक अभियोजक।

प्रार्थीगण ने यह तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर जमानत पर स्वतंत्र किये जाने की प्रार्थना की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना आबकारी निरोधक दल अजमेर ग्रामीण पर पंजीबद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23/2015-16 अन्तर्गत धारा 19/54 व 14/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के मामले में अनुसंधान आरम्भ किया गया एवं अनुसंधान के दौरान प्रार्थीगण को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर दिया। तत्पश्चात प्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2015 के द्वारा वापिस लिये जाने के आधार पर निरस्त कर दिया एवं मामले में चालान पेश होने के उपरान्त पुन: जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। इसके उपरान्त प्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.1.2016 के द्वारा वापिस लिये जाने के आधार पर निरस्त कर दिया गया एवं प्रार्थीगण के खिलाफ आरोप लगाये जाने के उपरान्त पुन: जमानत प्रार्थनापत्र पेश करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। अब प्रार्थीगण की ओर से यह तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण के खिलाफ आरोप लगाये जा चुके हैं किन्तु मामले के विचारण में समय लगेगा। उनका मुख्य रुप से यह भी तर्क है कि वाहन के स्वामी के खिलाफ तो पुलिस ने धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान लंबित रखा है किन्तु

प्रार्थीगण के साथ भेदभाव किया गया है। प्रार्थीगण चालक एवं कंडक्टर है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण के खिलाफ अन्य कोई प्रकरण नहीं है। अत: प्रार्थीगण को जमानत पर आजाद किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों का अवलोकन करने के उपरान्त मैं प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करना उपयुक्त समझता हूं।

अत: प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण सतवीरसिंह पुत्र सुमेरसिंह एवं अखिल कुमार पुत्र जयपाल उर्फ सतपाल प्रत्येक रुपये 2,00,000/- (अक्षरे दो लाख रुपये) का स्वयं का बंधपत्र एवं एक-एक लाख रुपये की राशि की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर पेश कर तस्दीक करावे कि वह विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश
All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.

SK Sharma
DR